प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपित जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां बहुत ही अच्छी चर्चा रही। करीब-करीब 60 माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का अवसर मिला और करीब 40 आदरणीय माननीय सदस्यों ने लिखित रूप में अपने भाव व्यक्त किए हैं। इस अर्थ में यह काफी सार्थक चर्चा रही है। इसमें अनेक विषयों की चर्चा की गयी है। विपक्ष के माननीय खड़गे जी और सभी दलों के विरष्ठ नेताओं ने अपने विषय रखे हैं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, किस दिशा में हो रहे हैं और किस गित से हो रहे हैं, उनका उल्लेख किया है। यह बात सही है कि कई आदरणीय माननीय सदस्यों को लगता होगा कि यह होता तो अच्छा होता, यह होता तो अच्छा होता, यह होता तो अच्छा होता। मैं इसको सकारात्मक रूप में देखता हूं। विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्य चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, इन अपेक्षाओं का महात्म्य है। अपेक्षाओं का महात्म्य इसलिए भी है कि आपको भरोसा है कि शायद समस्याओं का समाधान इसी कालखंड में होगा। यह अच्छी बात है। कुछ ये भी बातें आईं हैं कि आप तो हमारी योजनाओं का ही नाम बदल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि मुद्दा योजना का और योजना के नाम का है। मुद्दा समस्या का है। योजना नयी है, पुरानी है, इसके ऊपर तो विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि समस्या पुरानी है। इसलिए हमें जो समस्यायें विरासत में मिली हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के रास्ते हम खोज रहे हैं। इनको यह भी लगता है कि यह तो हमारी योजना थी, आपने इसका नाम बदल दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपको गर्व करना चाहिए, आपको आनन्द होना चाहिए कि चलो भाई, समस्या के समाधान में कुछ बातों में, यहां के लोग हों या वहां के लोग हों, पहले वाले हों या नए वाले हों, सबकी सोच सही है, दिशा सही है, तो यह अपने आप में एक अच्छी बात है, मैं ऐसा मानता हूं।

मुझे याद है कि हम पर बाहर आलोचना हुआ करती थी कि भाई आजादी के आन्दोलन में आप कहाँ थे? एक बार अटल जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। अटल जी ने कहा कि अच्छा बताओ वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आप कहाँ थे? ये चीजें कुछ पल के लिए ठीक लगती हैं। आप निर्मल भारत की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आप स्वच्छ भारत ले आए। अब मैं पूछता हूँ कि वर्ष 1999 में अटल जी ने टोटल सैनिटेशन का प्रोजेक्ट लगाया था, एक कार्यक्रम चालू किया था। क्या निर्मल भारत उसी योजना का दूसरा नाम था? मैं समझता हूँ कि मुद्दा समस्या है, नाम मुद्दा नहीं है।

हमारे देश में स्वच्छता एक समस्या है और स्वच्छता हमारी मानसिकता से ज्यादा जुड़ी हुई है। मैं जब स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ तब मेरे दिल, दिमाग में वह गरीब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि गन्दगी के कारण जो बीमारी फैलती है, उस वक्त एक गरीब पर सात हजार रूपए का खर्च आता है। स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी ज्यादा है। अगर गरीब का औसत लें, पाँच का परिवार है तो 35 हजार रूपए होते हैं। स्वच्छता का दूसरा सम्बन्ध नारी के सम्मान के साथ है। आज भी गाँव में माँ-बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, अंधेरे का इन्तजार करना पड़ता है। यह इस तरफ, उस तरफ का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारी माताओं और बहनों के सम्मान का है, उनको जीने का एक अधिकार देने का है। जब उन चीजों को याद करते हैं तो कहते हैं कि भाई, यह हमें करना होगा। बालिकाएं स्कूल छोड़ देती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्यों? एक प्रमुख कारण ध्यान में आया और वह कारण यह था कि स्कूल में गर्ल चाइल्ड टॉयलेट नहीं है। सवाल किसी को दोष देने का नहीं है, इस समस्या का समाधान खोजने का है, इसलिए स्वच्छता के अभियान को आगे बढाया है। ये तीन चीजें मेरे मन को हमेशा आन्दोलित करती हैं। स्वच्छता अभियान, यह कोई उदघाटन समारोह नहीं है, यह निरन्तर करने का काम है और हम सबको करने का काम है। हममें से कोई नहीं है, जिसे गन्दगी पसन्द है। लेकिन स्वच्छता का आरम्भ मुझे करना चाहिए, उस पर हम जागरूक नहीं हैं। सवा सौ करोड़ देशवासियों को इस काम में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि कल सुप्रिया जी ने अपने भाषण में कहा था कि यह एक अच्छा अभियान है, इससे हम एम.पी. कैसे जुड़ें? हाउस में सामने से उन्होंने पूछा कि हम इससे कैसे जुड़ें? हमें कल्पना नहीं है कि जन सामान्य स्वच्छता के काम को कितना पसन्द करता है। मुझे मीडिया ग्रुप के लोग मिल थे। वे कह रहे थे कि हमने केदारनाथ की क्लैमिटी में काम किया, धन संग्रह किया, हमें 4 करोड़ रुपये मिले। गुजरात में भूकम्प हुआ तो हम लोगों ने काम किया, लोगों ने हमको 3 करोड़ रुपये दिये। अभी हमने खच्छता को लेकर टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया तो हमें लोगों ने 400 करोड़ रुपये दिये। जो लोग राजनीति में हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि अगर आप वोट के हिसाब से भी यह करते हैं तो समाज का यह बहुत ही मनपसन्द काम है। अगर समाजनीति से यह काम करते हैं तो इससे बड़ा स्वान्तः सुखाय कोई काम नहीं हो सकता है। इसका नाम यह रहे या वह रहे, इससे ऊपर उठ करके, समस्या न रहे, उस पर हम ध्यान केन्द्रित करेंगे। मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

आदरणीय मुलायम सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, 'अस्सी घाट' की सफाई करने गये थे, वह कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हसूं या रोऊं, इसलिए कि आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तरप्रदेश सरकार की रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे या केन्द्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। ...(व्यवधान) करीब 3 महीने से 'अस्सी घाट' की

सफाई चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गन्दगी होगी, जिस 'अस्सी घाट' को लेकर वाराणसी की पहचान है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): सफाई मैंने शुरू की है।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: मैं आपका आभारी हूं। मैं मुलायम सिंह जी की बात को मानता हूं। लोहिया जी स्वच्छता का आंदोलन चलाते थे। आप लोहिया जी की कोई भी बात देखेंगे तो देश में स्वच्छता के लिए महात्मा गांधी जी के बाद, पूरी ताकत से अगर किसी ने आवाज उठायी थी तो लोहिया जी ने आवाज उठायी थी। लोहिया जी ने यह आवाज उठायी थी, इसलिए मोदी जी को उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लोहिया जी ने अच्छी बात कही है तो मोदी जी को भी उस रास्ते पर चलने में गर्व करना चाहिए।

इतने समय के बाद भी वहां बहुत कुड़ा-कचरा था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि विदेशों में हमारी एम्बैसिज हैं। सुष्मा जी ने सभी देशों में हमारी ऐम्बैसिज को चिटठी लिखीं कि 'स्वच्छता अभियान' भारत में शुरु हुआ है, आपकी एम्बैसी का जरा हाल देखिए। मुझे एम्बैसिज के जो फोटोग्राफ्स आये हैं कि उनके हाल पहले क्या थे और अब क्या है? जहां हमारे लोग रहते थे, वहां गन्दगी के ढेर थे। कागज पानी में भीग कर पत्थर से बन गए थे। क्या सरकारी दफ्तरों में व्यवस्था नही है, व्यवस्था है, लेकिन स्वभाव नहीं है। इसलिए यह एक पवित्र काम है जिसके लिए हम इसमें लगे हैं। यह काम इस सरकार का या इस सरकार के मुखिया का नही है, यह काम सवा सौ करोड़ देशवासियों का है। आपने जिस नाम से इस काम को बढ़ाया है, मैं उसका भी अभिवादन करता हूं। आपने अब तक जो किया है, मैं उसका अभिवादन करता हं। इन चीजों में विवाद का विषय नहीं हो सकता है। लाल किले पर से यह कहने का सामर्थ्य मुझमें था, मैंने कहा था कि इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, अब तक जितनी सरकारें रही हैं, यह देश उन सब के योगदान से आगे बढ़ा है। लाल किले की प्राचीर से मैंने भारत की सभी सरकारों की बात कही। में यह भी कहना चाहता हूं कि हमनें नौ महीनों में सब कुछ कर दिया है, हम ऐसा दावा करने वाले नहीं हैं और न ही, हम यह बात मानते हैं कि देश 15 अगस्त, 1947 को पैदा हुआ था। यह देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियो, मुनियों, आचार्यों, भगवन्तों, शिक्षकों, मजदूरों और किसानों ने इस देश को बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं। सरकारें देश नहीं बनातीं, देश जनता-जनार्दन की सामर्थ्य से बनता है, जनता-जनार्दन की शक्ति से बनता है और राष्ट्र अपनी गति से चलता है, अपनी फिलॉस्फी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है। भारत का मूल तत्व है - एकम सत्य विप्र: बहुधा वदन्ति, भारत का मूल तत्व है -

> सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दु:ख भाग्भवेत।।

यह भारत का मूल तत्व है, सबकी भलाई की बात यहां होती है। इसिलए यह देश आज जहां भी है, सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। कुछ लोगों को लगता है कि दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग-अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं पंचायतों, नगरपालिका, महा नगरपालिका के, क्या हुआ था। असम में इतनी भव्य विजय हो रही है। क्या हुआ? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे. बोलने में बहुत अच्छा लगता है। अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थीं। यहां तक कि आपातकाल इतना भयंकर संकट था, लेकिन कांग्रेस के हालात इतने बुरे नहीं हुए, जितने इस बार हुए हैं। अगर एक्ट के कारण आप जीतने वाले होते और किसानों को पसंद आया होता तो आप जीत जाते। इसिलए कृपया करके आप वह तर्क न करें, बोलने में ठीक लगता है लेकिन उस तर्क से आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। इसिलए मैं कहना चाहूंगा कि हमें समस्याओं का समाधान खोजना है, यहां मंथन करके रास्ते खोजने हैं।

कभी-कभार यह कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना विश्वास जरूर करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग-अलग हो सकता है कि इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है। यह सब होगा, लेकिन एक विषय में आप जरूर मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सुझ-बुझ तो है। मेरी राजनीतिक सुझ-बुझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता-जागता स्मारक है। आजादी के साठ साल बाद आपको लोगों को गड़ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। यह आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहुंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड़ढे जो आप खोद रहे हैं, उन साठ साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझ-बूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन-बान-शान के साथ रहेगा और गाजे-बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हां, एक बात और जरूर होगी क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं। इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना कुछ नहीं है, आप चिन्ता मत कीजिए, जो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी, हम देंगे क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले कि ऐसे-ऐसे खंडहर छोड़कर कौन गया है। इतने सालों के बाद भी आपको ये गड़ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है। यह उनको पता रहना चाहिए, इसलिए यह बहुत आवश्यक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप अपने फुटप्रिंट छोड़ कर गए हैं, जिससे लोगों को पता चल सके। जब कभी भी भ्रष्टचार

की चर्चा होती है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रख दिया है। देश में भ्रष्टचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करें, क्योंकि राजनीति के दायरे में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू-तू, मैं मैं में उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यहीं पर हम सीमित हो जाते हैं। मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वे इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर यह तय करें कि इसे आगे नहीं होने देंगे तभी भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो राजनीतिक विवादों से परे हो, क्या देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो तू-तू मैं-मैं से बाहर निकल कर उसके समाधान के रास्ते खोजे जा सकें। भ्रष्टाचार एक समस्या है, उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवेन स्टेट चलाएं। जब नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं यह दावा नहीं करूंगा, परमाप्ता ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है, कि हम ऐसे कानून बनाएं, जिसमें कोई कमी ही न रहे, मनूष्य का इतना सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या न हो, लेकिन पांच महीने या पांच साल बाद कोई समस्या उभर कर न आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे, जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब यह बात तय होती है कि जो अफरशाही है, उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर नहीं रहता है। प्रॉइरिटी करने का मौका ही नहीं रहता है। हमारी कोशिश है कि सरकारें पॉलिसी ड्रिवेन हो, इंडिविज्युअल विजन के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती हैं। भारत के संविधान दायरे में सब चीजें होनी चाहिए, तभी समस्याओं के समाधन हो सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर कोयले का आबंटन, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट लिखने वालों को भी लगता है कि इतना तो नहीं हो सकता। पहले कभी 600 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का सुना था। 500 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार सुना था। लेकिन 1,86,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टचार, इस पर देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में आता था कि 1,86,000 करोड़ का कैसे हो सकता है। जब कोयले का आबंटन हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया। अभी तक 18 या 19 ऑक्शन ही हुए हैं। उनमें करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आ चुका है। जब 204 ऑक्शन हो जाएंगी तब सीएजी ने जो सोचा था, उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन से आने वाली है। उस समय जीरो थ्योरी की बात चली थी। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि जिनके समय में यह हुआ, उनको क्या करना चाहिए। वह मेरा विषय नहीं है। वह आप जाने, आपका परमात्मा जाने। अगर हम इस दिशा में चलते हैं, तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं। यह सीधा-सादा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है, जिनमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाये। इसके लिए आप उत्तम से उत्तम से सुझाव दें। इस विषय को लेकर

मेरा समय मांगेंगे, तो मैं आपको समय दूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा और आप भी हमें गाइड कीजिए कि इस भयंकर समस्या से निकलने के लिए ये-ये चार रास्ते हैं। शासन व्यवस्था उसे देखेगी, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को मुक्त करायें। हम मानकर चलें कि हो क्या रहा है?

यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पर रंग बदल जाता था, जब उनके मुंह से आज काले धन की चर्चा सुनता हूं, तो मुझे इतना आनंद होता है, जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि हमारी सबसे सिद्धि यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर एस.आई.टी. बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने से हम चूक गये। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एस.आई.टी. बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताये हम एस.आई.टी. बना देते? हमने तीन साल तक एस.आई.टी. नहीं बनायी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनायी। नयी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय काले धन पर एस.आई.टी. बनाने के लिए किया। जब काले धन की बात आती हैं, तो स्विस बैंक की चर्चा आती है।

मैं श्रीमान् अरूण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया और स्विटजरलैंड गवर्नमैंट को हमें मह्त्वपूर्ण जानकारियां एक्सचेंज करने के लिए राजी कर लिया। अब उसके कारण वहां के बैंकों की जानकारियां पाने के लिए हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, जी-20 समिट में आप भी जाते थे। हम तो पहली बार गये हैं। हमारे लिए तो कइयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने जी-20 समिट का क्या उपयोग किया? जी-20 समिट के अंदर जो संयुक्त डेक्लरेशन हुआ, उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैकमनी, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जी-20 को जिम्मेदारी के साथ कदम उठाना चाहिए और उसमें हम सहयोग करेंगे। काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हमें मिलकर जिस पर दबाव डालना है, डालेंगे। हमने इसका निर्णय जी-20 समिट में करवाया। यह हमारी कोशिश थी। इस रास्ते से हम भटकने वाले भी नहीं हैं, हटने वाले भी नहीं हैं और कोई इससे बचेगा नहीं, यह मैं आपको कह कर रखता हूं।

कृपा करके कोई यह न कहे कि हम विंडिक्टिव थे, इसिलए किया है। हम वादा करके आये हैं। वह व्यक्ति, जरूरी नहीं कि सब राजनेता हों, लेकिन जिसने भी किया है, देश का तो नुकसान किया ही है। इसिलए उस संबंध में सरकार की इच्छाशक्ति चाहिए, हमारी है। सरकार के प्रयास होने चाहिए, हम कर रहे हैं और अंतिम विजय प्राप्त करने तक करते रहेंगे, यह मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं। कभी कभी यह

कहा जाता है कि आपने नया क्या किया? मैं एक उदाहरण देता हूं कि काम को कैसे किया जाए। हम एक तरफ किसान की बहुत बात करते हैं लेकिन किसान को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए रास्ता खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? कई उपाय हैं। जैसे हम काम लेकर निकले हैं - पर ड्रॉप, मोर क्रॉप। हमारे देश में पानी की कमी है, सारी दुनिया पानी के संकट से जूझने वाली है। क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के भविष्य को देखकर कुछ बातें करें? तत्कालीन लाभ के लिए ही करेंगे? हो सकता है राजनीतिक लाभ हो जाए लेकिन राष्ट्रनीति की तराजू में वह बात बैठेगी नहीं। हमने सॉएल हैल्थ कार्ड की बात कही है। हमने मंत्र दिया है - स्वस्थ धरा तो खेत हरा। लेकिन हम सिर्फ विज्ञान भवन में रिब्बन काटकर और दीया जलाकर काम नहीं करते हैं। यह सरकार कैसे काम करती है? मैंने अधिकारियों को सूचना दी। जैसे आज किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वह पहले ब्लड टैस्ट करवाने के लिए कहता है, यूरिन टैस्ट करवाने के लिए कहता है और उसके बाद ही वह दवाई के लिए सोचता है। वह सारे टैस्ट करवाता है और तब तक वह दवाई नहीं देता है। जिस प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन चीजों की जरूरत है क्या हम देश में किसानों के लिए यह बात पहुंचा सकते हैं कि आप फसल पैदा करने से पहले, जमीन से फायदा उठाने से पहले जमीन की तबियत कैसी है, यह जान लें। जिसे हम भारत मां कह रहे हैं, उस भारत मां का हाल क्या है, उस धरा का हाल क्या है, पृथ्वी माता का हाल क्या है, वह तो पहले जानो। कहीं हमारे पापों के कारण हमारी धरा बीमार तो नहीं हो गई है? हमने इतना यूरिया डाला, यूरिया का झगड़ा करते रहे। क्या हमने कहीं यूरिया डालकर हमारी धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है? यह कब समझ में आएगा, जब हम सॉएल टैस्टिंग करेंगे। अब सॉएल टैस्टिंग का कार्ड निकालेंगे, दे देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। मैंने कहा है कि क्यों न हम गांव-गांव सॉएल टैस्टिंग लेब के लिए एन्टरप्रोन्योर तैयार करें? गांव के नौजवान जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ट्रेनिंग दें। गांव में अगर वह लैब बनाता है तो उसे बैंक की तरफ से ऋण दिया जाए ताकि गांव के लोगों की उस लैब्रोटरी में जाने की आदत बन जाए और वे हर साल बारिश के सीज़न से पहले अपनी जमीन चैक करवा लें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, माइक्रो न्यूट्रिशन की डिटेल जा लें।

अध्यक्ष महोदया, हमारे यहां दसवीं, बारहवीं विज्ञान के स्कूल और कॉलेज में लैबोरेटिरी है। लेकिन हमारे देश में करीब फरवरी से जुलाई तक लैबोरेटिरी बंद रहती है क्योंकि बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं और स्कूल खुलने में जून-जुलाई महीना आ जाता है। इस तरह करीब तीन-चार महीने के महत्वपूर्ण समय में स्कूल की लैब खाली पड़ी रहती है। सॉएल टैस्टिंग कोई बहुत बड़ी टैक्नोलाजी नहीं है, इसे आराम से किया जा सकता है। हमने कहा कि उन दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को भी ट्रेनिंग दीजिए। स्कूलों में वैकेशन्स में सॉएल टैस्टिंग लेब के रूप में इसे कन्वर्ट कीजिए। इससे स्कूल को तो इनकम होगी ही और गांव के नौजवानों को भी इनकम होगी। हमारा देश गरीब है, क्या हम कोई रातों-रात लैब बना देंगे, पैसे

खर्च देंगे? हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑवर इन्फ्रास्ट्रक्चर करेंगे। यह है गुड गवर्नेंस, ये हैं तरीके, इन तरीकों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जब एक बार किसान को पता चल जाएगा कि मेरी जमीन इस फसल के योग्य नहीं है तो मैं मानता हूं कि हमारा किसान तुरंत विश्वास से काम करेगा और आज किसान का जो खर्चा होता है वह खर्चे से बच जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, कभी यहां पर बात आई कि क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं लेकिन आपने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों कम नहीं किए? तब हम भूल जाते हैं, जब हम सरकार में आये, तो सूखे की स्थिति थी, बारह प्रतिशत बारिश कम थी। तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें 50 प्रतिशत और बढोत्तरी की जाए, बिजली के दाम में जो पैसे लिये जाते हैं, उसकी सब्सिडी में 50 प्रतिशत और बढ़ोत्तरी की जाए और उसके कारण डीजल पर, सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आया है। हमने किसानों को दिया है, जो कहते हैं कि नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है, हमने दिया है। लेकिन आपको पिछले मई, जून, जुलाई का याद नहीं रहता, आपको इस अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर का याद रहता है। ऐसा नहीं है जी! सरकार आखिर किसके लिए है! यह सरकार गरीब के लिए है, यह गरीबों को समर्पित सरकार है। हम हैं, जिन्होंने एक्सपेंडीचर कम करने के लिए एक्सपेंडीचर कमीशन बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि शासन में जो अनाप-शनाप खर्चे हो रहे हैं, उसको रोकना चाहिए ताकि वे पैसे गरीब के काम आएं, गरीब के कल्याण के काम आएं, उस पर काम कर रहे हैं। हम गुड गवर्नेन्स की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, हम ऐसे लोग हैं, अब आप यह नहीं कहेंगे कि हमारे ज़माने से हैं, मैं बचपन से अभी तक भी नहीं समझ पाता था कि ज़ीरोक्स का ज़माना आया, फिर भी मेरे सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, किसी एम.एल.ए. के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, किसी एम.पी. के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था। एम.एल.ए. या एम.पी. अवेलेबल न हो तो भी उनका एक एक छोटा-सा आदमी रहता था, वह सिक्का मार देता था कि हाँ भाई, आपका सर्टिफिकेट ठीक है। हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन देश के नागरिक पर भरोसा नहीं करते हैं। हमने नियम बनाया कि सेल्फ अटेस्ट करके आप दे दीजिए और जब फाइनल रिजल्ट होगा, तब आप ऑरिजीनल डॉक्युमेंट दिखा दीजिए। आप कहेंगे कि यह छोटी चीज है, लेकिन यह देश के सामान्य मानवों में विश्वास पैदा करती है कि सरकार मुझ पर भरोसा करती है।

हमारे यहाँ एक-एक काम में तीस-चालीस पेज के फॉर्म भरा करते थे। मैंने आते ही कहा कि भाई, इतने लम्बे-लम्बे फॉर्म की क्या जरूरत है, सरकार की फाइलें बढ़ती चली जा रही हैं, जितना ऑन-लाइन हो सकता है, उसे ऑन-लाइन किया जाए और मिनिमम कर दो, तो मिनिमम कर दिया। कई जगह पर फॉर्म की प्रक्रिया को एक पेज में लाकर रख दिया है। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं, रैड टेप

को हम कम करना चाहते हैं ताकि सामन्य मानवों को उसकी सुविधा मिले, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। एक के बाद एक काम हम करते चले जा रहे हैं और उसका लाभ मिलने वाला है।

हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाज़िम रिटायर होते हैं, उनको हर वर्ष पेंशन लेने के लिए नवम्बर महीने में जिन्दा होने का सबूत देना पड़ता है। दफ्तर में जाकर एक्स-एम.पी. को भी देना पड़ता है। एक आयु तक तो ठीक है, उसी बहाने बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक आयु के बाद वहाँ जाना सम्भव नहीं होता है। क्या हम इन व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं? वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, अपने घर में बैठकर भी, अपने जिन्दा होने का प्रमाण दे सकता है, उसका पेंशन पहुंच जाए, इसका पूरा मैकेनिज्म बना दिया है। यह हमारे गरीब पेंशनर का सम्मान है।

आपको लगेगा कि यह इतना बड़ा देश है और मोदी छोटी-छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ तो ये छोटी-छोटी बातें ही होती हैं, जो बाद में वटवृक्ष बन जाती है, विष-वृक्ष बन जाती है, जो समस्याओं में सभी को लपेट लेती है। यह इसलिए आवश्यक होती है।

मुझे याद है, कभी-कभार, पिछले सत्र में, हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया। मैं नहीं जानता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उचित था या नहीं? यहां तक कह दिया कि आपको पार्लियामेंट में आने का वीज़ा दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वालों को मैं और तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं, जिन्हें करना पड़ता है।

उन मीटिंग्स में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को भी जाना पड़ेगा और भविष्य में जो प्रधानमंत्री आएगा, उसे भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मजाक का विषय बन जाए, तो क्या हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गयी है कि हम ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं? क्या आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए कोई और मुद्दे नहीं बचे? मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको देश की इतनी चिन्ता थी, अगर इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया है तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी जांच कर लेते, कभी उसकी भी इनक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं जापान गया, जापान के अपने कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम यह जोड़ा। मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट यामानाका को मिलने गया। क्यों? क्या फोटो निकलवाने के लिए? मैं इसलिए गए कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर रिसर्च की है। मैंने जितना पढ़ा है, मेरे मन में आया था कि शायद इनकी यह खोज हमारे काम आ सकती है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे देश के आदिवासियों को परम्परागत रूप से सिकल-सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। सिकल-सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। सिकल-सेल बीमारी वालों के विषय पूछें तो पता चलेगा कि यह कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवा नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल-सेल बीमारी से मुक्ति मिल जाए। मैं गया,

वहां जाकर मैंने उनसे चर्चा की। बैंगलौर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में काम हो रहा है कि स्टेम सेल के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट्स कुछ खोज करें ताकि मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिन परेशानियों में जिन्दगी गुजारनी पड़ती है, उनसे वे बाहर आ सकें।

हम आस्ट्रेलिया गए, जी-20 समिट में गए। वहां मैं उन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स से मिलने उनके लैब में गया जिन्होंने प्रति हेक्टेअर ज्यादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोग किया था, रिसर्च किया था। कभी मैंने पढ़ा था। मैं उनके पास गया। हम पल्सेस के मामले में बहुत पीछे हैं, हमारे देश को पल्सेस की बहुत जरूरत है। गरीब आदमी को न्यूट्रिशन फूड के लिए प्रोटीन की जरूरत है, हमारे देश के गरीब को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सेस में से मिलता है। अगर हमारा किसान अच्छी मात्रा में पल्सेस पैदा कर सकता है, प्रति हेक्टेअर ज्यादा पल्सेस पैदा कर सकता है तो उसको भी अच्छी आय मिलेगी और हमारे उस गरीब का भला होगा। इसीलिए मैंने उन साइंटिस्टस के पास जाकर यह समझने के लिए कुछ घण्टे बिताए कि बताइए, मेरे देश के किसानों को ज्यादा पल्सेस पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, ज्यादा चना पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, अरहर पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है। इसके लिए मैंने समय बिताया। मैं एक अन्य साइंटिस्ट के पास गया, इस बात के लिए मिलने गया कि उन्होंने केले में कुछ नई खोज की थी। मैं समझना चाहता था, मुझे पूरा पता नहीं था, इसलिए मैं ऐसे ही चला गया, उनके साथ बैठा, उनकी लैब देखी, उनके प्रयोग देखे। उन्होंने केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है। अधिक विटामिन पाने में सफलता पाई है। केला अमीरों का फल नहीं है मेरे भाइयो-बहनो, केला, गरीब से गरीब का फल होता है। अगर केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है, विटामिन ज्यादा मिलते हैं और इस प्रकार की खोज के साथ केला बनता है तो मेरे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं, देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है, देश का आदिवासी हमारे दिमाग में होता है, देश का किसान हमारे दिमाग में होता है और दुनिया में जो भी अच्छा है, जो मेरे देश के गरीबों के काम आए, उसको लाने की तड़प होती है। उस तड़प के लिए हम कोशिश करते हैं और इसीलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाएं, उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। यहां पर जन धन योजना को लेकर कहा गया कि यह तो हमारे यहां हर समय थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए 40 साल हो गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए किया गया था, लेकिन आज भी इस देश का गरीब बैंक के दरवाजे से दूर था।

बैंकिंग सिस्टम और फाइनैंशियल व्यवस्था की मेन धारा बन गयी है। अगर हम आगे चल कर योजनाएं बनाना चाहते हैं तो शुरूआत यहीं से होती है। हमने 15 अगस्त को यह ऐलान किया था और कहा

था कि 26 जनवरी को हम झण्डा फहराएंगे, उससे पहले यह काम पूरा करेंगे। समय रहते काम पूरा किया या नहीं किया। जिस बैंक के अंदर गरीब को जाने का अवसर नहीं मिलता था, उस बैंक के मुलाजिम जो कोट-पैंट-टाई पहनते हैं, एयर कंडीशंड कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, बैंक का वह मुलाजिम, मेरा साथी गरीब की झौपड़ी तक गया, गरीब के घर तक गया, क्या इसके लिए सरकार प्रेरणा नहीं दे सकती है, क्या इसके लिए सरकार परिवर्तन नहीं ला सकती, हम यह परिवर्तन लाए हैं। मैं आज विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से नीचे तक के सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा लिया। उन्होंने केवल इस बात को माना ही नहीं, बल्कि उसे पूरा भी किया। जब यह व्यवस्था हो गई है। मनरेगा के लिए कहा गया था कि इसमें लीकेजिज़ बहुत हैं। अब हम मनरेगा का पैसा भी जन-धन योजना के तहत देंगे, आधार कार्ड है, इससे लीकेज कम से कम हो जाएगा और पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। हमारे दिमाग में गरीब है, लेकिन गरीबों के नाम पर हमारे दिमाग में राजनीति नहीं है। गरीबों के नाम पर हमारे दिलो-दिमाग के अंदर ईश्वर की सेवा करने का अवसर है। इसलिए हम जब हर काम करते हैं तो इस बात को लेकर करते हैं कि हम गरीब के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं और उसी दिशा में हमारा प्रयास रहता है।

में जब शौचालय की बात कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना काम हुआ है। करीब सवा चार लाख शौचालयों की स्कूलों में जरूरत है। करीब सवा चार लाख में से डेढ़ लाख के करीब नए शौचालय बनाने पड़ेंगे और बाकी शौचालयों को रिपेयर करने की आवश्यकता है। एक अलग आन लाइन पोर्टल बनाया गया है। उसका मैपिंग की गई है। एड्रेस पक्का पता है कि यहां इतने शौचालय चाहिए। सारी डिटेल वर्क आउट की गई है। मुझे संतोष के साथ कहना है कि अब तक करीब-करीब 60-65 हजार लड़िकयों के लिए टायलेट बनाने का काम पूरा हो चुका है। मैं सभी एम.पीज़. का भी अभिनंदन करता हूं कई एम.पीज़. ने इस काम को एक्टिवली किया है। अपने इलाके में एम.पी. लैड फंड का भी उपयोग किया है। सी.एस.आर. में भी उपयोग हुआ है। जहां डिस्ट्रिक्ट के अफसर सक्रिय हैं, उन्होंने तेज गति से काम किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो वैकेशन है, अगर हम सभी तय करें, आप अपने यहां कलैक्टर को पूछें, अपने डिस्ट्रिक्ट में अधिकारियों को पूछें कि बताओ कि इस काम का क्या हुआ। आप चिट्ठी डाल दीजिए, मुझे विश्वास है कि जून महीने में जब नया सत्र शुरू होगा, उसके पहले इस वैकेशन के बाद टायलेट बनाने का काम पूरा हो जाएगा। यह संतोष केवल यहां के लिए नहीं है, यह संतोष वहां के लिए भी है, हम सभी के लिए है। आप इस काम को करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

स्वच्छता का कैसा असर है? इसका टूरिज्म पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमने ऑन लाइन वीज़ा, 'अराइवल आन वीजा' किया है और दूसरा स्वच्छता। इन दोनों का सयुंक्त प्रभाव टूरिज्म पर पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में टूरिज्म में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। कई बातों में नेगेटिव प्रचार होने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी पैदा होती हैं, जिनके कारण हमारे यहां टूरिज्म को काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन व्यवस्थाओं के कारण टूरिज्म में काफी बढ़ावा हुआ है।

अब हम कहेंगे कि आपदा प्रबंधन का क्या हुआ? आप बताएं कि ऐसी कौन-सी सरकार होगी, जिसके समय में आपदा नहीं आई, हर सरकार के समय आपदा आई है। उस आपदा के लिए हर सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ा है। लेकिन आपदा प्रबंधन के तरीके भी बदले जा सकते हैं। जब जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई, तो मैंने पहला काम यह किया कि भारत सरकार में जम्मू-कश्मीर के जितने अधिकारी हैं, पहले उनकी सूची बनाओ और उनको सबसे पहले वहां भेजो। उस समय के होम सैक्रेटरी पुराने समय के जम्मू-कश्मीर कैंडर के थे, उन्हें मैंने वहां भेज दिया और हफ्ते भर वहां रखा। क्यों? क्या भारत सरकार का यही दायित्व है कि सिर्फ इतना चैक दे दिया, उतना चैक दे दिया, नहीं, इतने से बात नहीं बनती।

हमें पूरी ताकत से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ता है। मैं स्वयं कश्मीर गया और कितने ही ग्रुपों के साथ मैंने बारीकी से बातें की। मैंने अपनी दीवाली उन लोगों के साथ जाकर मनाई। क्यों? तािक सरकार में बैठे हुए और लोग भी सेंसिटाइज हों कि हमारा दाियत्व बनता है और ऐसा नहीं है कि बात पूरी हो गई तो उनको उनके नसीब पर छोड़ दिया जाए। यह हमारा दाियत्व बनता है और इसिलए हमारी पॉजीटिव एप्रोच भी है। प्राकृतिक आपदा का समय तू तू मैं मैं का नहीं होता है। उसमें हमें एक अपनेपन की जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है और हमारे पास जो भी शक्ति होती है, कैसे उसका सही ढंग से उपयोग करते हुए हम समस्या से बाहर निकलें? हमारा प्रयास यही रहता है। हम उसी ओर जाना चाहते हैं।

यहां पर लैंड एक्विजीशन एक्ट को लेकर बिढ़िया बातें मैं सुन रहा हूं। हमें इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने जो किया, उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता। जब लैंड एक्विजीशन एक्ट बना था, तब हम भी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको पारित करने के लिए खड़े रहे थे। हम जानते थे कि इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही सब लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े रहे थे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 1894 में जो कानून बना, उसकी किमयां देखते देखते आपका 2013 आ गया और 120 साल बीत गये। आज़ादी के बाद भी 60 साल तक इस देश के किसान उसी कानून के भरोसे जीते थे जो सन् 1894 में बना था। अगर किसानों का

बुरा हुआ तो किसके कारण हुआ? जब यह कानून बना तो हम आपके साथ थे। कानून बनने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो सभी राज्यों के सभी दलों के मुख्य मंत्री, किसी एक दल के मुख्य मंत्री नहीं, सभी दलों के मुख्य मंत्री एक आवाज से कह रहे थे कि साहब, आप किसानों के लिए कुछ सोचिए। किसान बिना पानी के मर जाएगा। उसको सिंचाई चाहिए। इसको इरीगेशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। गांवों में उसको सड़क चाहिए। गांवों के गरीब को रहने के लिए घर चाहिए और आपने ऐसा कानून बनाया है, आप भाजपा वाले भी साथ में थे जिसके कारण हमारा भला नहीं हो रहा है।

यह बात हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों ने कही। यह देश जो फैडरल कोआपरेशन की बात करता है, यह देश जो फैडरेलिज्म की बात करता है, क्या हम इतने अहंकारी हो गये हैं कि हम अपने राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बात को नहीं सुने? क्या हम इतने अहंकारी हो गये हैं कि हमारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बात को नहीं सुने? क्या हम इतने अहंकारी हो गये हैं कि हमारे राज्यों के मुख्य मंत्री परेशान हैं और हम उनकी बातों को न सुनें? क्या हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए और उनकी जो भावना है, क्या उनकी उस भावना का हमें सकारात्मक रूप से आदर नहीं करना चाहिए? उनकी मांग क्या है? मुझे सेना के अधिकारी मिले। वे बोले कि हम क्या करें? यह जो आपने कानून बनाया है और वे तो हमको ही कहते हैं क्योंकि हमने साथ दिया था। वे कहते हैं कि साहब, हमें जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, अब जो आपका कानून बना है, उसके तहत हो ही नहीं पाएगा। हमें हमारी न्यूक्लिअर व्यवस्थाओं को, यानी जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, क्या हम पूछने जाएंगे, क्या हम लिखेंगे कि हमें यह इस काम के लिए चाहिए? तो अच्छा है कि हम पाकिस्तान को ही लिख दें कि हम इस पते पर ये काम कर रहे हैं,...(व्यवधान) डिफेंस के, हमारी सेना के अधिकारी इतने परेशान हैं कि साहब, क्या होगा? यह नहीं है कि किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है। लेकिन गल्ती रह गई। गलती करैक्ट करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यह छोटा सा उपाय है कि इस गलती को करैक्ट करना है। आपने जो किया है, हम नकारते नहीं हैं। आपने जो कोशिश की है, उसमें कुछ रह गया है, तो उसमें हम कुछ जोड़ना चाहते हैं।

कृपा करके इसे राजनीति के तराजू से मत तोलिये और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें अभी भी यदि आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। मैं सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नार्थ ईस्ट, उड़ीसा, पूर्वी आंध्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के पश्चिमी छोर पर तो गांवों में भी छोटा-मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांवों में सड़के बनी हैं। हमारे इस कानून का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो पूरे पूर्वी हिंदुस्तान का हुआ है, पूर्वी भारत का हुआ है। ये जो मुख्य मंत्री आकर चीख रहे थे, इसी बात

को लेकर चीख रहे थे कि हमारा कुछ आगे बढ़ने का अभी समय आया है, उसी समय आप ब्रेक लगा रहे हो। क्या हमारे पूर्वी भारत के इलाकों को भी पश्चिम में गांवों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उन्हें वह सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो किया है, हमारे सर-आंखों पर, मैं आप पर गर्व करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसमें जो किमयां रही हैं, समय है कि उन्हें थोड़ा ठीक कर लें, यह सिर्फ किमयों को ठीक करने का प्रयास है और वह भी सिर्फ किसानों के लिए है। मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनायें और इसके बनने के बाद भी मैं सारा क्रेडिट उस समय जिन्होंने कानून बनाया था, उन्हीं को दूंगा, सार्वजिनक रूप से दूंगा, यह राजनीति के लिए नहीं है।

मैंने मुख्य मंत्रियों को सुना है, उनकी किठनाई सुनी है और मैं भी मुख्य मंत्री रहा हूं। मुझे पता है कि हम दिल्ली में बैठकर कोई कानून बना देते हैं, उन राज्यों को कितनी परेशानी होती है, कभी हमें अंदाज नहीं होता है। मैं एक प्रकार से उनका प्रतिनिधि भी हूं, क्योंकि मैं उसी टोली में लम्बे अरसे तक रहा हूं और इसलिए मैं उनके दर्द को जानता हूं। हां, किसान के खिलाफ एक भी चीज हो, हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है, यह काम करते समय हमारी भी कुछ कमी रहो हो, लेकिन हमारा काम किमयां दूर करना है, हमारा काम यह थोड़े है। हां, इसका राजनीतिक फायदा आप लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए जुलूस निकालिये, रैली कीजिए, लेकिन देश के लिए निर्णय भी कीजिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि उस दिशा में जाने की बजाय उसके ऊपर जाइये।

हमारा नार्थ ईस्ट, हम एक्ट ईस्ट पालिसी को लेकर चल रहे हैं। मैं अभी भी मानता हूं, मैं जीवन में एक परिव्राजक रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, करीब-करीब हिंदुस्तान के सभी जिलों में मुझे रात गुजारने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी के चालीस साल परिव्राजक के रूप में घूमा हूं, इसलिए मैं जानता हूं। मैं नार्थ ईस्ट में बहुत रहा हूं। वहां इतने विकास की संभावना है, वह देश का आर्गेनिक कैपिटल बन सकता है, वहां इतनी ताकत है। मैं अभी बार-बार नार्थ ईस्ट जा रहा हूं। अगर मेरा राजनीतिक उद्देश्य होता तो जहां 60-80 सीटों का बल्क होता, मैं वहीं चला जाता। लेकिन जहां एक-एक सीट है, वहां जाकर दो-दो दिन बिताता हूं। यह मैं राजनीतिक मकसद से नहीं करता हूं। यह मेरे देश की अमानत है। उनकी चिंता करनी पड़ेगी, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और इसीलिए मेरा यह मकसद है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर जिस तेजी से बढ़ा है, हमें बहुत जल्दी से हिंदुस्तान के इस पूर्वी छोर को कम से कम उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। चाहे मेरा बिहार हो, चाहे मेरा बंगाल हो, चाहे मेरा आसाम हो, चाहे मेरा नार्थ हो, चाहे मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। हम इस देश को एक तरफ अपंग रखकर एक तरफ समृद्ध बनाकर देश को

आगे नहीं बढ़ाये जा सकते और इसलिए मैं विकास में उसकी ओर बल देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें मदद करें।

अब देखिये कोऑपरेटिव फैडरलिज्म, फैडरलिज्म की बातें बहुत हुई हैं। क्या होता था, हमें याद है, रेलवे में ब्रिज बन गया है, लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं है। दो-दो साल ब्रिज ऐसे ही लटका पड़ा है। कभी दोनों ओर कनेक्टिविटी बनी है तो ब्रिज नहीं बन रहा है। क्यों, या तो वह सरकार हमें पसंद नहीं है या एक डिपार्टमैन्ट दूसरे डिपार्टमैन्ट की सुनता नहीं है, फाइलो में काम चल रहा है। सैकड़ों प्रोजैक्ट्स हैं, इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में रेल के उस तरफ बस्ती बनने लग गई। अब पीने का पाइप ले जाने की पाइप डालनी है। रेल वाले अड़ जाते हैं, दो-दो साल तक पाइप ले जाने की परमीशन नहीं देते।

15.00 hrs.

बताइए भाई उसका क्या गुनाह है सरकार किसी की भी हो, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह है कि रेल के नीचे पाइप ले जा कर के बेचारे को पानी देना होता था। उसे नहीं देते थे। सरकार में आ कर पहला हक्म मैंने किया कि ये जितनी चीजें हैं, उनको क्लियर करो और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि हमने सबको क्लियर कर दिया है। यह नहीं देखा कि वहां किस लैवल की सरकार बैठी है। विकास ऐसे होता है, इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमारे यहां कुछ चीजें तो परिमशन में लटक जाती हैं। रेलवे को मैंने सभी विभागों के साथ जोड़ दिया है। मैंने कहा है कि सब विभागों के साथ मिल कर काम करो। सभी राज्यों के साथ मिल कर काम करो। रेल जा रही है, वे सारे लोग रोके जाएं, ऐसा काम नहीं हो सकता है। हम विकास की उस परिभाषा को ले कर चले थे। इसलिए मैं कोऑपरेटिव फैड्रलिज्म की बात करता हूँ क्योंकि उन राज्यों की समस्याओं को हमें एड्स करना चाहिए। उसने यह किया, वह किया, नहीं किया, इसके आधार पर देश नहीं चलता है। देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था तो हमेशा कहा करता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास जरूरी है। यह मंत्र मैंने हमेशा अपने जीवन में रखा था और मैं सबको बताता था। आज मैं कहता हूँ कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है। देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना होगा। हम यह कल्पना करते हैं। हमने आते ही ये खनिज रॉयल्टी वगैरह डेढ़ गुना कर दिया। वह पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। वे राज्य कौन हैं? ये वे राज्य हैं, जहां सबसे ज्यादा खनिज है। यह जो मैं पूर्वी हिंदुस्तान के विकास की बात करता हूँ, उनकी जड़ उसमें हैं। क्योंकि, वह खनिज सबसे ज्यादा हमारे देश के पूर्वी इलाके में है। वहां उनको इससे लाभ होने वाला है। कोयला ऑक्शन हुआ तो उसका पैसा किसको जाएगा? यह सारा का सारा पैसा राज्य के खजाने में जाने वाला है। कुछ राज्यों ने कल्पना तक नहीं की

होगी कि उनके बजट से ज्यादा पैसा उनके सामने पड़ा होगा। हम यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या यह फैडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है या नहीं है?

अभी हमने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और राज्यों को 42 पर्सेंट दे रहे हैं, जबिक फाइनेंस इस पर कमीशन एकमत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मैंबर्स के अंदर भी डिस्प्यूट्स हैं। हम उसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन हम नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। इसलिए हम 42 पर्सेंट दे रहे हैं। यह अमाउंट छोटा नहीं है। जब आप अमाउंट सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सारा रूपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी के साईज नहीं हैं, इतने रूपये रखे हैं। ...(व्यवधान) इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग, इतना ही नहीं डिज़ास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए अलग, यह सब मैं मिलाऊं तो करीब-करीब 47-48 पर्सेंट हो जाता है। आजादी के बाद पहली बार यह जान कर आपको भी आनंद होगा और शायद उन राज्यों में बैठे हुए हमारे मुखियाओं को भी होगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद उनको भी ध्यान नहीं होगा, आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास जो खजाना है, उस पूरे खजाने का अगर टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा कि 62 पर्सेंट खजाना राज्यों के पास है और केवल 38 पर्सेंट खजाना भारत सरकार के पास है। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है और राज्यों का खजाना भरा है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमें ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए। उस काम को हम कर रहे हैं और राजनीति से परे हो कर रहे हैं। इसका दल, उसका दल और झंडे के रंग देख कर के देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते हैं। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग नहीं दिखता है। उसी को ले कर हम चलते हैं।

अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से सांप्रदायिकता का जहर घुलता चला जा रहा है। यह आज से नहीं चला आ रहा है, यह लम्बे अरसे से चला आ रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है, लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या है? मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 2013, मैं पटना के गाँधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की भीड़ थी। बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं, उस समय जब इन्सान के हृदय से बातें निकलती हैं, वे सच्चाई की तराजू पर शत-प्रतिशत सही निकलती हैं। उसमें कोई लाग-लपेट नहीं होता है। बम, बन्दूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय मेरा जो भाषण है, उसमें मैंने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइये हिन्दुओं को

किसके साथ लड़ना है, क्या मुसलमान के साथ लड़ना है या गरीबी के साथ लड़ना है। मैं मुसलमानों से पूछता था कि आपको हिन्दुओं के साथ लड़ना है या गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मैंने कहा था कि आइये बहुत लड़ लिया, हिन्दू-मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई करें। पटना के गाँधी मैदान में बम, बन्दूक, पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के, बयानबाजी कर-कर के...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रंजीत रंजन जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह बात साफ है कि यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एकरूपता के पक्षकार नहीं हैं, हम एकता के पक्षकार हैं और सभी सम्प्रदायों का फलना-फूलना भारत की धरती पर ही सम्भव होता है। यह भारत की विशेषता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान बना है, वह संविधान हजारों साल के हमारे चिन्तन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है, वह हमारे भारत के सामान्य मानव की, आशा, आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने वाला संविधान है और इस संविधान की मर्यादा में रहकर ही देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी सम्प्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं सरकार में बैठा हूँ, सरकार कैसे चलेगी उसकी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बार-बार कहता आया हूँ, सम्प्रदाय के नाम पर अनाप-शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूँ, मैं आज यह कहना नहीं चाहता हूँ, आपका मुँह बन्द करने के लिए मेरे पास हजारों चीजे हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट क्या है। मैंने बार-बार कहा है कि मेरी सरकार का एक ही धर्म है इन्डिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है भारत का संविधान, मेरी सरकार का एक ही धर्मग्रन्थ है, भारत का संविधान, मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति, मेरी सरकार की एक ही पूजा है, सवा सौ करोड़ देशवासियों का कल्याण, मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ-सबका विकास। इसलिए हम संविधान को लेकर, संविधान की सीमा में रहकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 'एकम् सत् विप्राः बहुधा

वदन्ति' हमारा तत्वज्ञान रहा है। "Truth is one, the wise call it by many names." सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, यह कहने वाले लोगों में से हम हैं। और इतना ही नहीं, यही देश है जहाँ गुरु नानक देव ने कहा है -

'सब में ही रब रेहिया, प्रभु एकाई। पेठ पेठ नानक बिकसाई।'

"The one God is pervading in all. Beholding him in all, Nanak is delighted." यह हमारा तत्वज्ञान रहा है, यह हमारी परंपरा रही है। ...(व्यवधान) और इसलिए हम वे लोग हैं जहाँ पर 'तेन त्यक्तेन भुंजिथा,' इसी मंत्र को लेकर काम करने वाले हम लोग हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, तो यह सबका साथ, सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए क्योंकि सबका विकास करना है।

मैं फिर एक बार, जिन-जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई हैं, उनका भी परीक्षण करके देश के हित में कहाँ-कहाँ लागू किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यह अपेक्षा करता हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद।